न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 74/18

1. अल्लानूर
2. सलीम
3. भाबू
4. राजू
5. हनीफ उर्फ पप्पू

} पुत्रान रमजुल्ला जाति नाई मुसलमान निवासी रघुवन्टी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर।

6. रईस पुत्र अल्लानूर
7. रसीद पुत्र अल्लानूर

} जाति नाई मुसलमान निवासी रघुवन्टी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर।

अपी0

बनाम

1. सुलेमान पुत्र इब्राहीम
2. रईसा पत्नि सुलेमान

} जरिये पिता इब्राहीम पुत्र जीवन खॉं जाति नाई मुसलमान नि0 रघुवन्टी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर मु0न0 17/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.18)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपी0 की और से श्री चिरंजीलाल बैरवा
2. रेस्पो0 की और से श्री शिवचरण सोनी

निर्णय **दिनांक: 08.02.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0न0 17/2013 एवं निर्णय दिनांक 04.06.18 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 ने एक वाद पत्र दावा स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्राम रघुवंटी के स्थाई निवासी हैं एवं इनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति ग्राम रघुवंटी में है। आराजी खसरा नं0 394/757 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 589 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 594 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 595 रकबा 0.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 है0 भूमि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। इस भूमि के पूर्व दिशा में अजीज का खेत, पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण का खेत, उत्तर दिशा में चरागाह भूमि त[illegible]ा में इब्राहिम का खेत है। उक्त खेत में वादीगण ने फसल बो रखी है। वादी नं0 2 अ[illegible]त की देखभाल करने गई थी तो प्रतिवादी नं0 1 ता 07 ने वादि[illegible] खेत में जो फसल आपने[illegible] है उसको हम काटकर ले जावेंगे तथा उक्त खेत पर कब्जा [illegible] के ही रहेंगे। अतः दावा विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 394/757 रकबा 0.76 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ख0नं0 589 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 595 रकबा 0.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 है0 ग्राम रघुवंटी के उपयोग, उपभोग में वादीगण को बाधा नहीं पहुंचावें न ही किसी अन्य से पहुंचावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा पेश जबाब दावा में अंकित किया कि ग्राम रघुवंटी का पुराना खसरा नं0 158 बहुत बडा रकबा है जिसमें से अपीलांट सं0 06 को एक बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 07.01.2002 में हुआ, तभी से अपीलांट सं0 06 अपनी आवंटन शुदा भूमि पर काबिज होकर कब्जे काश्त करता चला आ रहा है, इसी के साथ अपीलांट सं0 03 को पुराना खसरा नं0 158 में 02 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था तभी से ही अपीलांट सं0 03 उक्त आवंटन भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है तथा पुराना खसरा नं0 158 में से अपीलांट सं0 02 ने जरिये विकय पत्र 6 बिस्वा भूमि क्रय की थी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर पेश दस्तावेजो का अवलोकन किये ही निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अपीलांट की उक्त आराजीयात को रेस्पो0 ने सेटलमेन्ट कर्मचारीयों से साज कर अपीलांट की आवंटित व कब्जे शुदा भूमि पर रेस्पो0 के खेत बनाकर नक्शे में गलत तरमीम कर दी जिसका फायदा उठाकर रेस्पो0 ने अधिनस्थ न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय पारित करवा लिया, जो भूल की है। वह खारिज होने योग्य है। अपीलांट की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं0 394/757 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 589 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 594 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 595 रकबा 0.27 है0 कुल किता 04 रकबा 1.61 है0 भूमि साबिक खसरा नं0 158 से बने है जिस पर आवंटन के बाद से ही अपीलांट का ही कब्जा है उक्त आराजीयात पर रेस्पो0 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त आराजीयात का केवल रेस्पोडेन्ट के नाम जमाबन्दी में गलत तरीके से इन्द्राज कराने व इसी आधार पर कब्जे लेने अपीलांट के पास गया तो दोनों के मध्य काफी कहा सुनी गाली गलोच हुआ तथा अपीलांट ने उक्त आराजीयात की खातेदारी में गलती को संशोधन कराने बाबत उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर में एक प्रार्थनापत्र पेश किया जो जैर सुनवाई है इसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने गया, मना करने पर अपीलांट के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवायी जो बाद अनुसंधान पुलिस थाना मलारना डूंगर ने एफ0आर0 दी आदि सुसंगत तथ्यों का व पत्रावली में मौजूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलांट ने जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार तहसीलदार ने उक्त आराजीयात का मौका दिनांक 17.05.2010 को देखकर पर्चा मौका खसरा नं0 158 मौजा रघुवंटी का कशीद किया तथा उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं पाया गया तथा रेस्पोडेन्ट की कोई आराजी नहीं है बल्कि अपीलांट की कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 391,392,390 से लगती हुई सीमा है तथा विवादित आराजीयात के पास ही अपीलांट की आवंटन शुदा भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई वैधानिक अधिकार हांसिल नहीं है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात के संबंध में जब दोनों पक्षो के बीच गाली गलोच हुई तब गॉव के पंचो ने दिनांक 05.07.2014 को एक पंचनामा में खुलासा किया तथा बताया कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में भी दोनो पक्षो के मध्य जमीनी विवाद हुआ था जिसका पंचो ने दिनांक 23.12.2001 को फैसला किया था तथा दोनों पक्षो को समझाकर पत्थरगढी मौके पर कब्जा अनुसार करवादी थी उक्त पंचनामें को पांच गॉव में पंचो द्वारा खसरा नं0 158 में नवीन खसरा नं0 394, 394/757 व 394/758 करीब 08 बीघा भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा था जो करीब 70 वर्षो से चला आ रहा है तथा उक्त पंचनामें में खातेदारी को लेकर पंचो ने खुलासा किया कि उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्ट की तीन पीढी पूर्व काश्त करती चली आ रही है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की खातेदारी में हेराफेरी की है जिसे ग्राम कौथाली, मकसूदनपुरा, बिलोली, श्यामौली, सांकडा व रघुवंटी के पंचो ने तहरीर व प्रमाणित कर साबित किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही जो निर्णय पारित किया है काबिले खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नं0 394/757 रकबा 0.76, खसरा नं0 589 रकबा 0.43 है0, 594 रकबा 0.15 है0, ख़सरा नं0 595 रकबा 0.27 है0 कुल 6 किता 4 रकबा 1.61 है0 जो पुराने खसरा नं0 से नये बने है को रेस्पोडेन्ट सं0 01 के पिता ने अपने नाम गलत तरीके से गैर खातेदारी में दर्ज करवा लिये जबकि खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2019–2049 में अपीलांट के पिता रमजोया उर्फ रमजानी पुत्र भूरया का कब्जा काश्त रहा है उसके पश्चात से आज तक उक्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में भी रेस्पोडेन्ट का दावा आवंटन दिनांक 12.03.2015 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहां खारिज किया जा चुका है तथा [illegible] के आदेशानुसार दिनांक 10.04.2015 को सम्पूर्ण खाता गैर खातेदारी से सिवायचक [illegible] जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि उक्त आरा[illegible] के सम्बन्ध में दिनांक 03.10.2016 को उनवानी प्रकरण अल्लानू [illegible] तहसीलदार मु0नं0 26/14 प्रा0प0 136 एल0आर0एक्ट में फर्द मौका रिपोर्ट वाके ग्राम रघुवंटी की उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के आदेश कमांक/रीडर/16/2354/दिनांक 27.09.2016 की पालना में ग्राम रघुवंटी के खविरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नजराना वाईज रिपोर्ट व मौका देखा गया जिसकी वास्तविक मोके व रिकार्ड का अनुसार निम्न प्रकार से है खसरा नं0 364 रकबा 0.05 है0 खातेदार अल्लानूर बगै0 के नाम दर्ज है और वर्तमान में बजड पडा है किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है खसरा नं0 365/753 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 390 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 391 रकबा 0.55 है0 खसरा नं0 392 रकबा 0.025 है0, खसरा नं0 393 रकबा 0.10 है0 कि रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज है तथा मोके पर कब्जा काश्त भी अपीलांट का ही है जो वर्तमान में खाली है खसरा नं0 394 रकबा 0.85 मुताबिक रिकार्ड इब्राहीम पुत्र जीवन के नाम है परन्तु मौक पर सलीम पुत्र रमजानी का कब्जा है तथा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध दर्ज एफ0आई0आर0 में सिविल कोर्ट बौंली एफ0आर0 लगी हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूॅगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2018 अपास्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने जबाब बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो0 एवं अपीलांट ग्राम रघुवंटी तहसील मलारना डूॅगर जिला सवाई माधोपुर के स्थाई निवासी है। रेस्पो0 एवं अपीलांट की समस्त चल व अचल संपत्ति वाके ग्राम रघुवंटी में स्थित है। आराजी खसरा नं0 394/757 रकबा 0.76, खसरा नं0 589 रकबा 0.43, खसरा नं0 594 रकबा 0.15, खसरा नं0 595 रकबा 0.27 कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 है0 भूमि रेस्पो0 की कब्जे काश्त की एवं खातेदारी की आराजिया है। रेस्पो0 की उक्त भूमि के पूर्व दिशा में अजीज का खेत तथा पश्चिम दिशा में अपीलांट का खेत है तथा उत्तर दिशा में चरागाह भूमि है तथा दक्षिण दिशा में इब्राहीम का खेत है। उक्त खेत में रेस्पो0 ने फसल बो रखी है। रेस्पो0 नं0 02 अपने खेत की देखरेख करने गई थी तो अपीलांट ने रेस्पो0 को धमकी दी कि इस खेत में जो फसल आपने बोई है उसको हम काटकर ले जायेंगे तथा उक्त खेत पर कब्जा करके ही रहेंगे। अपीलांट खुंखार प्रवृति के व्यक्ति है। आराजिया पुराना खाता संख्या 77 व नया खाता संख्या 172 के खसरा नं0 394/757 रकबा 0.76, खसरा नं0 589 रकबा 0.43, खसरा नं0 594 रकबा 0.15, खसरा नं0 595 रकबा 0.27 कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 है0 भूमि रेस्पो0 की कब्जेकाश्त की एवं खातेदारी की आराजिया है। रेस्पो0 को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि उसकी कब्जे काश्त की एवं खातेदारी की भूमि जिसमें उसके उपयोग व उपभोग में बाधा डालने का अधिकार अपीलांट को नहीं है जबकि रेस्पो0 को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह अपीलांट संख्या को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि रेस्पो0 की कब्जे काश्त की एवं खातेदारी के उपयोग व उपभोग बाधा नहीं पहुंचावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में किये गये तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:17 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

6. विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2063 प्रदर्श-उ वाके ग्राम रघुवन्टी के खतौनी संख्या पुराना 77 पर खसरा नम्बर 394/757 रकबा 0.76, खसरा नं0 589 रकबा 0.43, खसरा नं0 594 रकबा 0.15, खसरा नं0 595 रकबा 0.27 कुल किता 4 कुल रकबा 1.61 है0 सुलेमान पुत्र इब्राहीम नाई सा0 देह के नाम अंकित है। जमाबंदी के अंकन के विपरीत कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। रेस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री तनकी वार विवेचन कर व विधि सम्मत तरीके से पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टव्य नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, मलारना डूँगर के मु0नं0 17/2013 निर्णय दिनांक 04.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.2.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner